भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 3085

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

मानसून का देरी से आने का प्रभाव

3085. श्री वी॰ वैथिलिंगमः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में मानसून के आने में देरी हो रही है और लोग पेयजल के लिए तरस रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन राज्यों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों को निधि आवंटित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आरंभ (8 जून, 2019) होने तथा अरब सागर से उठने वाले अति गंभीर चक्रवाती तूफान "वायु" की उत्पत्ति तथा गति के चलते देश भर में मॉनसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में एक सप्ताह की देरी हुई है।

जल राज्य का विषय है। पानी की कमी/सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान के बाद, वित्तीय सहायता के लिए राज्यों द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संपर्क किया जाता है। यह मंत्रालय केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कवरेज में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है। विशेष रूप से पानी की कमी वाले राज्यों को विशेष सहायता जारी करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की बहाली के लिए राहत उपाय करने के लिए, राज्य सूखे सहित किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, एनआरडीडब्ल्यूपी फंड के 25 प्रतिशत तक फ्लेक्सी फंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान उपलब्ध कराने हेतु राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी फंड का उपयोग करके दीर्घकालिक उपाय भी कर सकते हैं।